तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 2 के पैराकार उप.। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने एवं विप्रार्थी सं. 1 ने एक ही रजिस्टर्ड बेचान के जरिये ग्राम तेलवाड़ा तहसील सिवाना के ख.सं. 591 रकबा 34–19 बीघा भूमि के खातेदारान से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। प्रार्थीगण ने मूल खसरे की पूर्वी तरफ की 26–00 बीघा भूमि, जिसका ख.सं. 705/591 कायम हुआ तथा विप्रार्थी सं. 1 ने 8–19 बीघा भूमि जिसका ख.सं. 706–591 कायम हुआ, क्रय की थी और बेचान पत्र में माफिक बेचान पृथक–पृथक भूमि दर्शाते हुए नक्शा भी दर्शाया गया था, किंतु सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कर्मियों ने मूल खसरे की तरमीम पूर्व–पश्चिम के बजाय उत्तर–दक्षिण के अनुसार कर दी, जिससे कब्जास्थिति एवं मौकास्थिति में भिन्नता रहने से दोनों पक्षों के मध्य तनाजा रहने की आशंका रहती है। अतः ख.सं. 705/591 एवं 706/591 की नक्शालट्ठा में विद्यमान तरमीम निरस्त की जाकर माफिक बेचान पत्र दुरुस्त करवाई जावे ताकि मौका एवं नक्शा स्थिति में एकरूपता संभव हो सके। विप्रार्थी सं. 2 ने तैयार की गई मौका रिपोर्ट में आवेदन के तथ्यों की ताईद करते हुए माफिक बेचान पत्र में नक्शे में दर्शायी स्थिति, खातेदारान का कब्जाकाश्त होना बताते हुए तदनुसार लट्ठानक्शा में तरमीम दुरुस्त किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौकारिपोर्ट एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। बेचान पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान ग्राम तेलवाड़ा तहसील सिवाना के ख.सं. 591 रकबा 34–19 बीघा भूमि के खातेदारान नरपतसिंह तनसिंह पि. कानसिंह से उक्त समग्र भूमि क्रय की। उक्त भूमि में से पश्चिम दिशा की 8–19 बीघा भूमि विप्रार्थी सं. 1 ने तथा पूर्व दिशा की 26–00 बीघा भूमि प्रार्थीगण ने क्रय की थी, यह तथ्य बेचान पत्र में दर्शाये गये नक्शे से स्पष्ट है, जबकि लट्ठानक्शा में विप्रार्थी सं. 1 का कब्जा मूल खसरे के उत्तर में एवं प्रार्थीगण की भूमि मूल खसरे के दक्षिण में दर्शायी गई है। तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों का विवादित भूमि पर कब्जा बेचान पत्र में दिये गये नक्शानुसार ही है। ऐसी सूरत में लट्ठानक्शा में तरमीम माफिक बेचान नक्शा दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:55:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

जाकर ग्राम तेलवाड़ा तहसील सिवाना की ख.सं. 705/591 रकबा 26–00 बीघा तथा ख.सं. 706/591 रकबा 8–19 बीघा भूमि की लट्ठानक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए विप्रार्थी सं. 1 एवं प्रार्थीगण के हक में निष्पादित बेचान पत्र में दर्शाये नक्शानुसार दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20.04.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:55:57 IST
Reason: SelfAttested